

Source: <https://ukhrultimes.com/meghalayas-udp-calls-killing-of-three-pastors-in-manipur-barbaric/>

Meghalaya's UDP Calls Killing of Three Pastors in Manipur 'Barbaric'

SHILLONG: Condemning the killing of three church leaders in Manipur, the United Democratic Party (UDP), a Meghalaya based political party, today described the incident as a "barbaric act" and demanded immediate action from both the state and Union governments to bring the perpetrators to justice.

In a statement, UDP general secretary Titosstar Well Chyne said the party was expressing its "deepest anguish and unequivocal condemnation of the brutal killing of three pastors" — Rev. Vumthang Sitlhou, president of TBAI; Rev. Kaigoulun Lhouvum, TBAI finance secretary; and Pastor Paogoulen Sitlhou.

"This barbaric act is an attack not only on the lives of innocent men of God, but also on the very fabric of humanity, religious freedom, and the constitutional values of India," the UDP said.

"Pastors who serve communities with peace, compassion, and selfless dedication should never become targets of violence."

The party termed the killings "cowardly and inhumane" and said violence against religious leaders could not be defended on any ground.

"We condemn in the strongest terms this cowardly and inhumane act. There can be no justification, political, ethnic, or religious, for the murder of unarmed religious leaders," the statement read.

The UDP pressed for urgent steps by authorities to ensure accountability.

"We demand immediate action from the Government of Manipur and the Union Government to apprehend the perpetrators and ensure swift justice. The rule of law must prevail over lawlessness," Chyne said.

Extending condolences, the party said, "We stand in solidarity with the families of the deceased pastors, the Church in Manipur, and the Christian community across the Northeast. We share your grief and pray for comfort and strength during this dark hour."

The UDP appealed to communities in Manipur to maintain calm and work towards reconciliation.

"We appeal for peace and restraint from all communities in Manipur. Violence begets more violence. The cycle must end, and we urge civil society, church bodies, and community leaders to work together to restore trust and harmony," the party said.

It also urged the National Human Rights Commission for Minorities to intervene.

"We call upon the National Human Rights Commission for Minorities to take suo motu cognisance of this incident and ensure protection of religious minorities and clergy in conflict zones," the statement said.

Referring to the Northeast's history of interfaith coexistence, the UDP said bloodshed aimed at sowing division must be resisted.

"The Northeast has always been a land of diverse faiths living in harmony. Attempts to divide us through bloodshed and fear must be defeated by our collective commitment to peace, justice, and fraternity," it said.

The party asked the Centre to prioritise the case.

"The UDP urges the Centre to treat this matter with the urgency it deserves. Justice delayed is justice denied," it said.



Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/hubballi/37-bonded-labourers-from-odisha-rescued-in-vijayanagara/articleshowprint/131098637.cms?val=3728>

37 bonded labourers from Odisha rescued in
Vijayanagara

Hosapete (Vijayanagara): As many as 37 bonded labourers from Odisha, including 10 children, were rescued from Nandibandi village in Mariyammanahalli hobli on Thursday during a raid led by assistant commissioner Vivekanand. The operation was carried out based on information provided by Belagavi based NGO Spandana and was conducted under the guidance of deputy commissioner Kavitha S Mannikeri. Officials said the rescued labourers — 11 women and 16 men apart from the children — hailed from Balangir and Nabarangpur districts of Odisha. They were allegedly brought to Karnataka about six months ago after being paid an advance of Rs 40,000 each. According to the victims, they were forced to work for meagre wages and were not allowed to leave even after the contract period ended. They also alleged that security guards were deployed to restrict their movement and prevent outside contact. Terming the incident 'shocking', DC Kavitha S Mannikeri said a case had been registered at Mariyammanahalli police station against those involved in supporting bonded labour practices. The district administration later made arrangements to send the rescued workers back to their native villages by train under the escort of police and revenue department officials.

Source: <https://www.deccanchronicle.com/southern-states/karnataka/37-odisha-workers-rescued-from-bonded-labour-conditions-in-vijayanagara-1956774>

37 Odisha Workers Rescued From Bonded Labour Conditions In Vijayanagara

Hosapete: The Vijayanagara district administration rescued 37 labourers from Odisha, including women and children, who were allegedly being forced to work under bonded labour conditions at Nandibandi village in Mariyammanahalli hobli.

The rescue operation brought visible relief to the workers, many of whom had reportedly been living under fear and restriction for months. Officials sent them back to their native places in Odisha by train. historic ruling. The rescue was carried out following credible information provided by a Belagavi-based NGO, Spandana. Acting under the directions of Vijayanagara district Deputy Commissioner Kavita S Mannikeri, Assistant Commissioner Vivekananda and his team raided the location and rescued the workers. According to officials, they were working in a brick manufacturing unit. The rescued persons included 10 children, 11 women, and 16 men, all belonging to Balangir and Nabarangpur districts of Odisha. Officials found the labourers living in extremely poor conditions in tiny houses of 4 feet in width, lacking even basic facilities. According to the labourers, they had been brought to Karnataka around six months ago after being paid an advance amount of Rs 40,000 each. They alleged that they were promised work for only six months and assured wages based on their labour.

However, despite working throughout the week under harsh conditions, each family was allegedly paid only Rs 500 per week. The labourers further narrated that when they sought permission to return home after completion of the agreed period, they were threatened and told they could not leave as they had accepted advance money. The victims also alleged that security guards had been deployed to prevent them from contacting the outside world or escaping from the work site.

Describing the incident as shocking, Deputy Commissioner Kavita S Mannikeri said an FIR had been registered at Mariyammanahalli Police Station against those involved in the alleged bonded labour practice. She said strict legal action would be initiated against the accused.

According to sources, an FIR has been registered against three persons from Andhra Pradesh in connection to this. DC Kavita S Mannikeri and Superintendent of Police S Jahnavi personally supervised the arrangements for their return. Two police personnel and two Revenue Department officials were also deputed to accompany the labourers during the journey for their safety. Among those present during the operation were DySP P Muralidhara, Sub-Divisional Officer Vivekananda and officials from various departments.

Source: <https://www.newindianexpress.com/states/uttar-pradesh/2026/May/14/prateek-yadav-cremated-in-lucknow-amid-massive-turnout-akhilesh-family-and-leaders-pay-last-respects>

Prateek Yadav cremated in Lucknow amid massive turnout; Akhilesh, family and leaders pay last respects

Postmortem report cites cardio-respiratory collapse as cause of death; NGO seeks NHRC probe citing injury marks and demands SIT investigation.

The mortal remains of Prateek Yadav, younger stepbrother of Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, were consigned to flames in Lucknow on Thursday afternoon, with family members and thousands of supporters gathering to bid him a final farewell.

The last rites were performed by his father-in-law Arvind Singh Bisht, who lit the funeral pyre and was seen wiping away tears before offering his final tribute. Akhilesh Yadav also paid his respects by placing wood on the pyre and bowing before his brother for the last time.

Prateek Yadav's wife, BJP leader Aparna Yadav, along with their two daughters, attended the cremation ground and participated in the rituals. SP MP Aditya Yadav also shouldered the bier during the funeral procession. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Pathak and several senior BJP leaders were present at the cremation ground to pay their respects.

Earlier in the day, the funeral procession witnessed a massive turnout, with thousands of supporters of both the SP and BJP accompanying the cortege and raising slogans of "Prateek Yadav Amar Rahe".

As per tradition, the body was taken to the Samajwadi Party office, located a short distance from his residence in Lucknow, where it was briefly placed on the ground before proceeding to Baikunth Dham cremation ground, about five kilometres away.

At the cremation ground, Prateek's children and other family members were also present. A photograph of Prateek with his pets was placed on the hearse, reflecting his known affection for animals.

Prateek Yadav died on Wednesday at the age of 38. According to the postmortem report, the cause of death was cardio-respiratory collapse. Doctors also found six injury marks on his body—three estimated to be around seven days old and three reportedly a day old. Officials have preserved the viscera for further forensic examination. Medical officials also said he was suffering from pulmonary thromboembolism, a serious condition in which blood clots block arteries in the lungs, disrupting blood circulation and affecting vital organs.

Prateek was the son of Sadhana Gupta and late Mulayam Singh Yadav. Sadhana Gupta was earlier married to Chandraprakash Gupta in 1986, and Prateek was born in 1987. The couple separated in 1990. She later married Mulayam Singh Yadav in 2003, who publicly accepted Prateek as his son.

Prateek studied at the University of Leeds in the United Kingdom. Although he belonged to a prominent political family, he stayed away from active politics and was involved in real estate and fitness-related business. He was also known for his interest in luxury cars and superbikes.

According to 2022 election affidavits, the combined movable and immovable assets of Prateek and Aparna Yadav were valued at around ₹23 crore.

Meanwhile, an NGO, DK Foundation, has petitioned the National Human Rights Commission, seeking an investigation into the circumstances of his death. It alleged that despite the postmortem report attributing death to cardio-respiratory collapse, the presence of injury marks raised questions about the cause of death.

The NGO has demanded the formation of an SIT and preservation of CCTV footage from Shyama Prasad

Mukherjee Hospital and the route from his residence to the hospital, calling for an independent forensic investigation outside state control.

Source: <https://www.bhaskarenglish.in/local/uttar-pradesh/lucknow/news/prateek-yadav-death-ngo-alleges-murder-probe-demand-rampurs-137935583.html>

Prateek Yadav's viscera to undergo poison and drug tests:NGO alleges murder, says probe will reveal exact cause of death

The death case of Prateek Yadav, younger brother of Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, has now reached the National Human Rights Commission (NHRC). A Rampur-based NGO, DK Foundation, has raised questions over the circumstances surrounding Prateek's death and demanded an impartial investigation.

Foundation president Danish Khan told Dainik Bhaskar that Prateek's death was "not natural" and that the organisation suspected murder. "We have taken suo motu cognisance of the matter and demanded a judicial inquiry," he said.

Foundation lists three key demands

The organisation has placed three major demands before authorities-

1. Formation of an SIT- The foundation has demanded the immediate constitution of a Special Investigation Team (SIT) to probe the case.
2. Judicial custody of CCTV footage- It has sought judicial custody of CCTV footage from Lucknow Civil Hospital and the route connected to the incident.
3. Central forensic examination- The NGO has demanded that forensic testing be conducted by the Central Forensic Science Laboratory (CFSL), free from any alleged state influence.

Earlier, SP MLA Ravidas Mehrotra had also raised doubts over the death, saying, "This is not a normal death. He may have been poisoned." He demanded an inquiry by a retired High Court judge.

Post-mortem cites cardio-respiratory collapse

According to the post-mortem report, Prateek's death was caused by sudden failure of the heart and lungs, medically termed "cardio-respiratory collapse". Doctors stated that this occurred due to a clot in the main blood vessel supplying blood to the lungs, a condition known as "massive pulmonary thromboembolism".

The condition develops when a blood clot formed elsewhere in the body, commonly in the legs, travels to the lungs and blocks blood circulation. However, to determine what caused the clots in Prateek's body, his viscera has been preserved and sent to a forensic laboratory in Lucknow for examination.

What is viscera and why is it important?

Forensic expert Ayush Baser explained that after a post-mortem, samples from internal organs are preserved for detailed investigation. These preserved organ samples are known as "viscera".

The samples generally include portions of the stomach, intestines, liver, kidneys and heart. They are preserved in chemicals such as rectified spirit, saturated salt solution, sodium fluoride, glycerol and formalin to prevent decomposition.

Ayush Baser said viscera is sent for chemical analysis when the exact cause of death, whether illness, injury or poisoning, remains unclear after the post-mortem.

Forensic tests can detect poison, drugs and chemicals

He said forensic experts use viscera analysis to identify hidden traces of poison, drugs, alcohol or chemicals inside the body. If the viscera report comes back negative, death is generally attributed to illness or injury rather than poisoning.

He added that in criminal investigations, viscera reports are considered crucial legal evidence.

Viscera reports can take six months to a year

According to Ayush Baser, there is no fixed timeline for viscera reports. He said reports can take anywhere between six months and one year, or even longer, due to the heavy backlog in Uttar Pradesh's forensic laboratories.

However, in highly sensitive or priority cases, reports may be prepared within eight to 10 days. According to the UP Police Technical Services Unit, more than 15,000 viscera reports were pending in forensic laboratories across the state by 2025.

In February 2026, the Uttar Pradesh government announced plans to upgrade forensic science laboratories and reduce the backlog.

What Prateek's post-mortem report revealed

1. Massive Pulmonary Thromboembolism

Doctors found clots in the main blood vessel carrying blood to the lungs. Such clots usually travel from another part of the body, often the legs, and block circulation in the lungs.

The report mentioned reddish-brown clots in the lungs, which caused immediate respiratory and circulatory failure.

2. Cardio-respiratory Collapse

This refers to the sudden failure of both the heart and respiratory system. According to the report, oxygen supply to the body stopped because of the lung clot, eventually causing the heart to stop functioning.

Other findings mentioned in the post-mortem report

1. Antemortem injuries

Doctors found six antemortem injuries on Prateek's body, meaning injuries sustained before death while he was alive. The injuries were estimated to be between one and seven days old.

2. Contusion and ecchymosis

The report noted bruising caused by rupture of blood vessels beneath the skin due to blunt force impact. Red-brown and green-yellow marks were found on the chest and hands.

3. Cyanosis

Doctors observed blue or purple discolouration on the lips, ears and nails, indicating severe lack of oxygen in the blood. This condition is medically known as cyanosis.

4. Subarachnoid haemorrhage

The report also mentioned bleeding between the layers covering the brain, medically called subarachnoid haemorrhage. Such bleeding is commonly associated with head injury or severe trauma. Heaviness in veins around the temporo-parietal region of the brain was also noted.

5. Edema

Swelling caused by fluid accumulation, known as edema, was found in both lower limbs. Doctors noted that such swelling is often linked to heart-related or blood circulation disorders.



Source: <https://jharkhandstatenews.com/article/top-stories/11397/jharkhand-hc-issued-order-making-judicial-probe-mandatory-in-custodial-death-rape-case>

Jharkhand HC Issued Order Making Judicial Probe Mandatory In Custodial Death, Rape case

The Jharkhand High Court has delivered a ruling that can be a game changer in justice delivery linked with the custodial death. Custodial death is defined as the death of an individual while in the custody of law enforcement officials, such as police or prison authorities. It takes place during detention, arrest, or imprisonment (judicial or police custody) due to causes like excessive force, torture, or neglect.

For long, these deaths have been widely considered grave violations of human rights, particularly the Right to Life, and are often illegal acts. Against this backdrop, responding to a public interest litigation on custodial deaths and rape cases in the state of Jharkhand, Jharkhand High Court mandated that a judicial inquiry will now be compulsory in every such instance. A division bench of Chief Justice M.S. Sonak and Justice Rajesh Shankar directed that any death or rape occurring in police custody or jail custody must be subjected to a judicial inquiry without exception.

The court ruled that such inquiries are mandatory under Section 196(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and the corresponding provision contained in Section 176(1A) of the erstwhile Criminal Procedure Code (CrPC). Earlier, the Jharkhand government had been getting inquiries into custodial deaths and rape cases conducted through Executive Magistrates, and judicial inquiries were not treated as mandatory in the state. The High Court's order will now bring a complete change in this system. The bench also directed the Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA) to frame a Standard Operating Procedure (SOP) in accordance with the guidelines of the National Human Rights Commission to ensure fair, impartial and proper investigation of custodial death and rape cases.

While hearing the arguments, it emerged from records submitted by the state government that nearly 250 cases exist where custodial deaths had occurred, but no judicial inquiry was conducted. Taking serious note of this, the court directed District Judges to submit detailed reports directly to the High Court, explaining the reasons for the absence of judicial inquiries in these cases. An affidavit filed earlier by the state Home Secretary had revealed shocking details, with the government admitting that around 500 deaths occurred in police and jail custody in Jharkhand between 2018 and 2025. In nearly half of these cases, judicial inquiries were not conducted. Following this disclosure, the High Court adopted a tough stance and reserved its verdict after both sides completed their arguments. The petitioner, Mohammad Mumtaz Ansari, was represented by advocate Shadab Ansari, who presented written submissions along with several Supreme Court judgments and NHRC guidelines before the court. Based on these submissions, the High Court delivered what has been described as a



Source: <https://avenuemail.in/jharkhand-hc-makes-judicial-probe-mandatory-in-all-custodial-death-and-rape-cases/>

Jharkhand HC Makes Judicial Probe Mandatory in All Custodial Death and Rape Cases

Ranchi (IANS): The Jharkhand High Court on Thursday made judicial inquiries compulsory in every custodial death and custodial rape case in the state, delivering a landmark ruling on a public interest litigation. A Division Bench comprising Chief Justice M. S. Sonak and Justice Rajesh Shankar directed that any death or rape occurring in police custody or jail custody must undergo a judicial inquiry without exception.

The court held that such inquiries are mandatory under Section 196(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and the corresponding provision under Section 176(1A) of the erstwhile Criminal Procedure Code (CrPC). Until now, the Jharkhand government had been relying on Executive Magistrates to investigate custodial deaths and rape cases, treating judicial inquiries as optional. The High Court's ruling changes that practice and makes judicial probes mandatory across the state. The bench also directed Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA) to frame a Standard Operating Procedure (SOP) in line with guidelines issued by the National Human Rights Commission to ensure fair, impartial and proper investigations.

During the hearing, records submitted by the state government revealed that nearly 250 custodial death cases did not undergo judicial inquiry.

Taking serious note of the lapse, the court directed District Judges to submit detailed reports directly to the High Court explaining why judicial inquiries were not conducted in those cases.

Earlier, an affidavit filed by the state Home Secretary disclosed that around 500 deaths occurred in police and jail custody in Jharkhand between 2018 and 2025. Judicial inquiries were not conducted in nearly half of those cases. Following these disclosures, the High Court took a strict view and reserved its verdict after hearing arguments from both sides. The petitioner, Mohammad Mumtaz Ansari, was represented by advocate Shadab Ansari, who submitted written arguments along with several judgments of the Supreme Court of India and NHRC guidelines. Based on these submissions, the High Court delivered what is being seen as a historic ruling.

Source: <https://english.punjabkesari.com/india/jharkhand-hc-makes-judicial-probe-mandatory-in-custodial-death-rape-cases/amp/>

Jharkhand HC makes judicial probe mandatory in custodial death, rape cases

Ranchi, May 14 (IANS) The Jharkhand High Court on Thursday delivered a significant ruling on a public interest litigation on custodial deaths and rape cases in the state, mandating that a judicial inquiry will now be compulsory in every such instance.

A division bench of Chief Justice M.S. Sonak and Justice Rajesh Shankar directed that any death or rape occurring in police custody or jail custody must be subjected to a judicial inquiry without exception.

The court ruled that such inquiries are mandatory under Section 196(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and the corresponding provision contained in Section 176(1A) of the erstwhile Criminal Procedure Code (CrPC).

Earlier, the Jharkhand government had been getting inquiries into custodial deaths and rape cases conducted through Executive Magistrates, and judicial inquiries were not treated as mandatory in the state. The High Court's order will now bring a complete change in this system.

The bench also directed the Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA) to frame a Standard Operating Procedure (SOP) in accordance with the guidelines of the National Human Rights Commission to ensure fair, impartial and proper investigation of custodial death and rape cases.

During the hearing, it emerged from records submitted by the state government that nearly 250 cases exist where custodial deaths had occurred, but no judicial inquiry was conducted.

Taking serious note of this, the court directed District Judges to submit detailed reports directly to the High Court, explaining the reasons for the absence of judicial inquiries in these cases.

An affidavit filed earlier by the state Home Secretary had revealed shocking details, with the government admitting that around 500 deaths occurred in police and jail custody in Jharkhand between 2018 and 2025. In nearly half of these cases, judicial inquiries were not conducted.

Following this disclosure, the High Court adopted a tough stance and reserved its verdict after both sides completed their arguments.

The petitioner, Mohammad Mumtaz Ansari, was represented by advocate Shadab Ansari, who presented written submissions along with several Supreme Court judgments and NHRC guidelines before the court. Based on these submissions, the High Court delivered what has been described as a historic ruling.

Source: <https://www.hindustantimes.com/cities/bengaluru-news/karnataka-cm-says-saffron-shawls-not-allowed-in-classrooms-after-hijab-order-revoked-101778767859122-amp.html?articleno=1>

After Hisar hotel fire: Haryana rights panel seeks statewide fire safety audit

The Punjab State & Chandigarh (UT) Human Rights Commission has taken a suo motu notice of The Tribune report "Teen forcibly given drugs, dies" The commission passed orders based upon the report, which said a 16-year-old died after three youths forcibly administered an injection of drugs to him at Jhok Dipolana village. The commission, comprising chairperson Justice Sant Parkash, has called for report from the SSP, Fazilka before the next date of hearing on July 9. Taking suo motu cognisance of a fire incident on May 6 at a multi-storeyed hotel in Hisar, the Haryana Human Rights Commission (HHRC), chaired by justice Lalit Batra, took note of media reports describing how the blaze began in the basement kitchen before engulfing several floors. Expressing serious concern over the state of fire safety preparedness and emergency rescue infrastructure in Haryana's urban areas, the commission directed officials to conduct a statewide fire safety audit.

In its May 7 order, the commission termed the incident as "deeply disturbing and alarming". The commission remarked that the fact a trapped woman had to jump from the building instead of being evacuated reflected serious shortcomings in rescue preparedness. It observed that reliance on local residents for rescue efforts prima facie pointed towards inadequate emergency evacuation infrastructure at the site. The commission sought an audit of the emergency rescue infrastructure, operational readiness of fire-fighting authorities and enforcement of statutory safety standards in multi-storeyed buildings, hotels, commercial complexes and densely populated urban areas across the state. The commission has sought a compliance report from the chief secretary, Haryana; additional chief secretary town and country planning department and the director general of fire and emergency services, regarding the status of procurement of advanced rescue equipment, district-wise availability of fire-fighting infrastructure and future plans to strengthen emergency response systems across the state.

The HHRC underlined the urgent need for advanced rescue and fire-fighting equipment such as hydraulic platforms and turn table ladders, especially for emergencies involving high-rise buildings, hotels and commercial complexes. The commission asked the chief secretary to submit a report outlining policy-level decisions, fund allocation, interdepartmental coordination, the present status of procurement and operationalisation of hydraulic platforms and turn table ladders, and a clear time-bound framework for strengthening fire-fighting and emergency rescue infrastructure in the state. The commission also referred to an earlier suo motu case pending since 2022 regarding the procurement and operationalisation of hydraulic platforms and turn table ladders in Haryana.

Separate reports have also been sought from the deputy commissioner, superintendent of police, municipal commissioner and chief fire officer of Hisar regarding the cause of the fire, rescue operations, compensation to victims, fire safety clearances of the hotel and any action initiated for violation of fire safety norms.

Source: <https://madhyamamonline.com/amp/india/karnataka-govt-reverses-2022-hijab-ban-allows-all-religious-symbols-in-classroom-1519815>

Karnataka govt reverses 2022 Hijab ban, allows all religious symbols in classroom

The new directive reportedly permits “limited traditional and practice-based symbols” such as hijab, sacred thread, rudraksha, shivadhara and sharavastra in addition to uniforms.

New Delhi: The Karnataka government has officially withdrawn the controversial February 2022 order issued by the then Bharatiya Janata Party government that had permitted educational institutions to prohibit hijabs inside classrooms.

Under a fresh order issued on May 13, students are now allowed to wear religious and customary symbols along with prescribed uniforms in schools and colleges.

The new directive reportedly permits “limited traditional and practice-based symbols” such as hijab, sacred thread, rudraksha, shivadhara and sharavastra in addition to uniforms. The order applies to government schools and colleges, aided institutions and private educational institutions functioning under the state’s School Education Department, the Wire reported.

The government clarified that uniforms would continue to remain compulsory, but the permitted symbols could be worn as supplementary items provided they do not interfere with discipline, safety, cleanliness or identification. It also stated that no student should be denied entry or compelled either to wear or remove such symbols.

Educational institutions have reportedly been instructed to implement the policy in accordance with constitutional principles including equality, dignity, fraternity, secularism, scientific temper, rationality and the right to education.

The decision by the Indian National Congress government came three years after it assumed power in the state. Karnataka School Education and Literacy Minister Madhu Bangarappa announced the revised order at a press conference alongside Health Minister Dinesh Gundu Rao and Shivajinagar MLA Rizwan Arshad. A clarification note outlining the decision was later issued by the government.

The hijab ban had remained controversial since its introduction and was widely criticised for affecting Muslim women’s access to education. Students reportedly faced discrimination, exclusion from classrooms and examinations, and mental distress due to the enforcement of dress-code rules.

The matter resurfaced during the Karnataka Common Entrance Test (KCET) on May 1, when several students were allegedly asked to remove hijabs and sacred threads before entering examination halls. According to reports, Minister Dinesh Gundu Rao described the incident as “inhuman”.

The controversy originally began in December 2021 in Udupi after Muslim students were prevented from attending classes while wearing hijabs. In March 2022, the Karnataka High Court upheld the ban, ruling that the hijab was not an essential religious practice in Islam. The matter later reached the Supreme Court, which delivered a split verdict.

The issue subsequently triggered protests and counter-protests across Karnataka, leading to temporary closures of schools and colleges. Reports at the time indicated that many Muslim students felt alienated and betrayed by educational institutions, the government and classmates who participated in demonstrations wearing saffron shawls in opposition to hijab-wearing students.

The previous BJP government had defended the restrictions by arguing that uniforms and bans on certain clothing items were necessary to preserve equality, integrity and public order.

Muslim students, however, had argued that the restrictions caused severe mental stress, disrupted their

education and subjected them to discrimination. Several students challenged the order before the Karnataka High Court and also approached the National Human Rights Commission, alleging violations of their fundamental rights.

The Karnataka government has now formally withdrawn Government Order No. 14 dated February 5, 2022, citing provisions of the Karnataka Education Act, 1983, the Karnataka Educational Institutions Rules, 1995 and constitutional principles.



Source: <https://www.tribuneindia.com/news/punjab/panel-issues-notice-over-teens-death/amp/?utm=relatedarticles>

Panel issues notice over teen's death

The Punjab State & Chandigarh (UT) Human Rights Commission has taken a suo motu notice of The Tribune report "Teen forcibly given drugs, dies" The commission passed orders based upon the report, which said a 16-year-old died after three youths forcibly administered an injection of drugs to him at Jhok Dipolana village. The commission, comprising chairperson Justice Sant Parkash, has called for report from the SSP, Fazilka before the next date of hearing on July 9.

Source:

<https://www.newindianexpress.com/amp/story/cities/bhubaneswar/2026/May/14/collector-asked-to-submit-atr-over-late-execution-of-saksham-anganwadi>

Collector asked to submit ATR over late execution of 'Saksham Anganwadi'

Saksham Anganwadi is aimed at upgrading, modernising and digitising India's existing anganwadi centers to improve public service delivery for women and children.

CUTTACK: The National Human Rights Commission has taken serious note of alleged large-scale irregularities and delay in the implementation of modern 'Saksham Anganwadi' centres in Odisha's Nabarangpur district, calling the matter a potential case of 'very serious human rights violations'.

Acting on a complaint filed by Jeypore-based human rights activist and advocate Anup Kumar Patro, the commission on Tuesday (May 12) directed the collector and district magistrate of Nabarangpur to submit an ATR within two weeks. According to the complaint, the Centre had approved establishment and transformation of 636 modern Saksham anganwadi centres across 10 blocks of Nabarangpur district. These centres were to be equipped with LED lighting, RO water purifiers, internet connectivity and Poshan Batikas (nutritional gardens) to ensure delivery of the mandated 'package of six services', including supplementary nutrition and pre-school non-formal education.

However, despite the lapse of nearly three years, transformation work in 460 centres allegedly remains incomplete. Saksham Anganwadi is aimed at upgrading, modernising and digitising India's existing anganwadi centers to improve public service delivery for women and children.

Part of the Mission Saksham Anganwadi and Poshan launched by the Ministry of Women and Child Development, it focuses on strengthening nutritional outcomes, early childhood care, and infrastructure.

The complaint highlighted alarming implementation gaps in several blocks. In Chandahandi block, only 10 out of 50 sanctioned centres are reportedly functional. Dabugam block has only 10 operational centres against 59 sanctioned, while Kosagumuda Block has just 17 functional centres out of 78 approved units.

Serious concerns were also raised about the condition of the Dussehra Ground Anganwadi Centre, which is allegedly functioning from a dilapidated hut without boundary walls or usable toilets.

Around 24 pre-school children are reportedly being forced to study in unsafe conditions, in violation of prescribed safety standards for state-run childcare institutions. NHRC observed: "If the allegations are true, then these are very serious human rights violations."



Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/2-days-after-minors-death-due-to-forced-drug-dose-woman-arrested/amp_articleshow/131101586.cms

2 days after minor's death due to 'forced drug dose', woman arrested

Fazilka: The Punjab State Human Rights Commission has taken suo motu notice of the death of a 16-year-old boy in Fazilka district, whose family alleged that local youths forcibly administered drugs to him. The commission, comprising chairperson Justice Sant Parkash (retired), member Justice Gurbir Singh (retired) and member Jitender Singh Shunty, has sought a report from the Fazilka senior superintendent of police by July 9.

The victim was allegedly administered a drug injection by three youths on the night of May 12, according to his family. He was found dead in fields near the village the next morning.

The incident had triggered protests on Wednesday, with family members and villagers blocking the Fazilka-Ferozepur highway and demanding strict action against the accused. Following a complaint by the victim's father, Fazilka Sadar police registered a case under sections 103(1) and 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita against Palo Bai and sons Ajay Singh, Vikram Singh alias Vicky and Gagandeep Singh.

Sub-inspector Hardev Singh said Palo Bai had been arrested while raids were underway to nab the remaining accused. He said the family had been accused of involvement in the drug trade.

Source: <https://theprint.in/world/nigeria-rights-body-demands-probe-into-civilian-deaths-in-airstrikes/2931680/>

Nigeria rights body demands probe into civilian deaths in airstrikes

LAGOS, May 14 (Reuters) – Nigeria’s human rights body on Thursday called on the military to launch a “thorough and prompt” investigation into what it called recurrent civilian casualties from military airstrikes. The National Human Rights Commission, a state body tasked with investigating alleged rights violations, said repeated reports of deaths and injuries raised serious concerns about compliance with humanitarian and human rights law. Amnesty International, citing witnesses, said on Tuesday that at least 100 civilians had been killed in a Nigerian military airstrike on a crowded market in remote northwest Zamfara state last weekend, the third reported incident since April. The military has said there was no evidence of civilian casualties. Nigeria has increasingly relied on air power in conflict-affected regions including the northeast, where it is battling a long-running insurgency, and the northwest, where armed kidnapping gangs known locally as bandits and Islamist militants operate. The NHRC said that while the fight against insurgency, banditry and other insecurity was a legitimate responsibility of the state, operations must not violate the constitution or international humanitarian principles. “Nigerians deserve to know why this has become a recurring decimal. For how long will this continue?” NHRC executive secretary Tony Ojukwu said. In a separate statement dated May 13, U.N. Human Rights chief Volker Turk said he was shocked by reports of civilian deaths in Zamfara and urged Nigerian authorities to undertake a “thorough, independent and impartial” investigation. In April, about 200 civilians were killed in an airstrike on a weekly market in Jilli, in northeastern Nigeria. The military has opened an investigation into that incident. Under Nigerian law, the commission can investigate alleged abuses and refer matters to the country’s attorney general for prosecution.

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/prateek-yadav-death-case-reaches-nhrc-human-rights-commission-inquiry-demand-201778772009161.html>

प्रतीक यादव की मौत का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, शरीर पर चोटों के निशान को बताया संदेहास्पद

प्रतीक यादव की मौत के मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में याचिका दायर की गई है। प्रतीक यादव के शरीर पर मिले चोट के निशानों ने माम का हवाला देते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पहुंच गया है। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने आयोग के अध्यक्ष को याचिका भेजकर इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि प्रतीक के शरीर पर मिले चोट के निशान घटना को संदिग्ध बना रहे हैं। फाउंडेशन के अध्यक्ष दानिश खान ने अपनी याचिका में दलील दी है कि हालांकि प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण 'हृदय गति रुकना' (हार्ट अटैक) बताया जा रहा है, लेकिन मृतक के शरीर पन पाए गए चोट के निशान और इस घटना की अचानक प्रकृति कई गंभीर संदेह पैदा करती है। याचिका में कहा गया है कि प्रतीक यादव अपनी फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के लिए जाने जाते थे, ऐसे में उनकी अचानक मृत्यु और शरीर पर मौजूद संदिग्ध निशानों की निष्पक्ष जांच अनिवार्य है।

संस्था ने आयोग से अनुरोध किया है कि मामले से जुड़े तमाम साक्ष्यों, विशेषकर घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज को तत्काल सुरक्षित किया जाए। फाउंडेशन ने अंदेशा जताया है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए उन्होंने विसरा रिपोर्ट की निगरानी भी विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल से कराने की मांग की है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के छह निशान मिले

प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम में छह सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम ने पाया कि मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी फेफड़े की मुख्य नस में खून का बड़ा थक्का फंस गया। इससे सांस और दिल की कार्यप्रणाली बंद होने से प्रतीक की सांसें थम गईं। चिकित्सा विज्ञान में इसे कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स कहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक के शरीर पर छह चोटें थीं। चार चोटें दाएं हाथ पर कोहनी से कलाई तक थीं। एक चोट छाती के दाईं तरफ थी। एक चोट बाईं कलाई पर थी। सभी चोटें गिरने से लगने की आशंका है। हालांकि यह भी कहा गया है कि कोई भी चोट ऐसी नहीं है, जिससे मौत हो सके। प्रतीक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफी के बीच कराए गए पोस्टमार्टम के दौरान विशेषज्ञों ने सभी पहलुओं को देखा। विस्तृत जांच के लिए आस-पास की कोशिकाओं को सुरक्षित रखा गया है, ताकि माइक्रोस्कोप से विस्तार से जांच की जा सके। सुरक्षित रखे गए विसरा से शरीर में दवा या रसायन का पता लगाया जाएगा।

शरीर पर कहां-कहां मिलीं चोटें

- पहली चोट छाती के सामने दाहिनी तरफ है। यह गहरी चोट थी, जिसका रंग बीच में लाल-भूरा और किनारों पर हरा-पीला बताया गया। चोट के नीचे खून जमने के निशान भी मिले।

- दूसरी चोट दाहिने हाथ के पीछे और अंदरूनी हिस्से में, बगल के नीचे पाई गई। इसमें भी लाल-भूरे और हरे-पीले रंग के निशान मिले।

- तीसरी चोट दाहिने फोरआर्म के अंदरूनी हिस्से में कोहनी से कलाई तक फैली हुई थी। इस चोट के नीचे भी रक्तसाव के निशान मिले।

- चौथी चोट दाहिने फोरआर्म में कोहनी के पास थी।

- पांचवीं चोट दाहिनी कोहनी के पीछे बाहरी हिस्से में दर्ज की गई।

- छठी चोट बाएं हाथ की कलाई के ऊपरी हिस्से पर मिली।

पुरानी और नई चोटों का भी जिक्र

रिपोर्ट में डॉक्टरों ने चोटों के समय का भी अनुमान लगाया है। तीन चोटें पांच से सात दिन पुरानी हैं और तीन लगभग एक दिन पुरानी मानी गई हैं।

Source: <https://www.vibesofindia.com/hi/surat-kapda-factory-91-child-labour-rescue-news/>

सूरत की कपड़ा फैक्ट्रियों में छापेमारी, 12 घंटे काम करने को मजबूर 91 बाल मजदूर मुक्त

सूरत की कपड़ा फैक्ट्रियों में चल रहे एक बड़े बाल श्रम रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 13 मई को उदयपुर पुलिस, एंटी-ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट (AHTU) और बाल अधिकार संगठनों ने एक संयुक्त अभियान चलाकर 91 बाल मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू किया है। पुलिस के अनुसार, इन मासूम बच्चों की उम्र महज सात से 14 साल के बीच है। इन बच्चों की तस्करी करके इन्हें सूरत लाया गया था और बेहद कम मजदूरी पर कपड़ा इकाइयों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

मुक्त कराए गए ज्यादातर बच्चे राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र के आदिवासी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि अन्य बच्चे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। इस पूरे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता और राजस्थान राज्य बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेन्द्र पंड्या द्वारा जुटाई गई अहम जानकारी के आधार पर हुई। उन्हें सूरत के कपड़ा उद्योग में बड़े पैमाने पर चल रहे बाल श्रम की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया और कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

जांच अधिकारियों ने बताया कि इस बड़ी कार्रवाई से पहले करीब एक महीने तक गुप्त रूप से निगरानी रखी गई थी। इस दौरान यह पुष्टि हो गई थी कि नाबालिगों से अत्यधिक शोषणकारी परिस्थितियों में काम लिया जा रहा है।

हालांकि, छापेमारी के दौरान तस्कर और फैक्ट्री मालिक कथित तौर पर पहले ही भनक लग जाने के कारण मौके से फरार होने में कामयाब रहे। शैलेन्द्र पंड्या ने दिल दहला देने वाली जानकारी साझा करते हुए बताया कि खुद बच्चों ने ही रेस्क्यू टीमों को बाहर से बंद पड़ी उन इमारतों तक पहुंचाया, जहां नाबालिगों से 12-12 घंटे की लंबी शिफ्ट में लगातार काम कराया जाता था। पुलिस को फैक्ट्री के पास स्थित छोटे और बेहद तंग कमरों में कई बच्चे रहते हुए मिले। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को सुरक्षित निकालकर बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की आगे की जांच जारी है और फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

Source: <https://bhaskardigital.com/nhrc-intervenues-in-prateek-yadav-death-case-wman-rights-commission-3-forward/>

प्रतीक यादव की मौत के मामले में NHRC की एंट्री, कौन पहुंचा मानवाधिकार आयोग? रखीं ये 3 डिमांड

मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है। मानवाधिकार से जुड़ी NGO DK फाउंडेशन ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन ने मौत को संदिग्ध बताते हुए मामले की गहराई से जांच कराने की आवश्यकता जताई है। शिकायत में कहा गया है कि शुरुआती रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलेप्स यानी दिल और सांस की प्रक्रिया एक साथ बंद होना बताया गया है, लेकिन मृतक के शरीर पर मिले कथित चोट के निशान और घटना की परिस्थितियां कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। Prateek Yadav की मृत्यु को लेकर उठ रहे सवालों के बीच NGO ने NHRC से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि प्रतीक यादव एक स्वस्थ जीवनशैली के लिए जाने जाते थे, ऐसे में उनकी अचानक मौत और शरीर पर पाए गए संदिग्ध निशानों की पूरी जांच जरूरी है। इसी आधार पर शिकायत में तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिनमें सबसे पहले मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की बात कही गई है। दूसरी मांग में लखनऊ के सिविल अस्पताल और घटना से जुड़े सभी स्थानों के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने की मांग की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न हो सके। वहीं तीसरी मांग में कहा गया है कि पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच राज्य सरकार के प्रभाव से बाहर रखकर केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब (CFSL) से कराई जाए, ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। फिलहाल NHRC की ओर से इस शिकायत पर कोई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है। हालांकि, मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और लोग घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं।

Source: <https://hindi.oneindia.com/news/uttar-pradesh/prateek-yadav-death-case-nhrc-investigation-postmortem-report-raises-serious-questions-news-hindi-1563225.html>

Prateek Yadav Death: प्रतीक की मौत पर NHRC में शिकायत किसने की? SIT की मांग-पोस्टमॉर्टम पर सवाल! रहस्य क्या?

Prateek Yadav Death Case: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव (38) की अचानक मौत ने सिर्फ परिवार को नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। 13 मई की सुबह 6 बजे के करीब हुई मौत के बाद अंतिम संस्कार 14 मई की दोपहर किया गया। लेकिन संदेहों का सिलसिला थमा नहीं है। अब मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पहुंच गया है।

शरीर पर मिली 6 चोटों, विसरा सुरक्षित रखना, और सपा के ही विधायक रविदास मेहरोत्रा के प्रतीक की अचानक मौत पर उठाए गए सवालों ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के कुछ पहलुओं ने मामले को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

1. NHRC में एंट्री: DK Foundation ने दर्ज कराई शिकायत

प्रतीक यादव की मौत को 'संदिग्ध' बताते हुए मानवाधिकार NGO DK Foundation of Freedom and Justice ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। संस्था का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स (हार्ट और सांस की प्रक्रिया एक साथ थम जाना) बताया गया, लेकिन शरीर पर मिले चोट के निशान और घटना की परिस्थितियां गंभीर सवाल उठाती हैं।

NGO ने प्रतीक को हेल्दी लाइफस्टाइल, फिटनेस और जिम चलाने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया। ऐसी स्थिति में अचानक मौत सामान्य नहीं लगती।

शिकायत में तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं:-

तुरंत SIT (Special Investigation Team) का गठन।

घटनास्थल, अस्पताल रास्ते और सिविल अस्पताल के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखना और न्यायिक अभिरक्षा में लेना।

फॉरेंसिक जांच को राज्य सरकार के प्रभाव से बाहर रखते हुए CFSL (केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) से कराना।

NHRC की ओर से अभी आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू होने की संभावना है। यह कदम मौत को 'मानवाधिकार उल्लंघन' के नजरिए से देखने का संकेत देता है।

2. रविदास मेहरोत्रा ने भी उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मौत को 'सामान्य नहीं' बताते हुए रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शव पर चोट के निशान होने की चर्चा है। अगर ऐसी बातें सामने आ रही हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी जांच होनी चाहिए।

मेहरोत्रा का एक और दावा यह है कि प्रतीक को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। सपा पक्ष से ऐसी आवाजें उठना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रतीक परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे। दूसरी तरफ, भाजपा नेता और प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव के समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से मामले को आगे बढ़ने देना चाहते हैं। दोनों परिवारों (यादव और बिष्ट) के बीच एकजुटता दिख रही है, फिर भी राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं।

3. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट: क्या कहती है और कहां हैं सवाल?

KGMU में चार डॉक्टरों की टीम (डॉ. मौसमी सिंह, डॉ. हिमांशु पटेल, डॉ. फातिमा आदि) और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम हुआ। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई, जो पारदर्शिता का संकेत है। मौत की मुख्य वजह Cardiorespiratory Collapse due to Massive Pulmonary Thromboembolism। यानी फेफड़ों में खून का बड़ा थक्का बनने से ब्लड फ्लो रुक गया, जिससे हार्ट और लंग्स फेल हो गए। इसके साथ, रिपोर्ट में शरीर पर 6 Ante-Mortem चोटें दर्ज की गईं। इसमें...

छाती के दाहिने हिस्से पर 14x7 सेमी

दाहिनी बांह के पीछे 19x12 सेमी

दाहिने फोरआर्म पर 24x6 सेमी

दाहिने हाथ पर 6x4 सेमी

दाहिने हाथ के पीछे 12x6 सेमी

बाएं हाथ की कलाई पर 3x2 सेमी

खास बात यह है कि कुछ चोटें 2 दिन पुरानी, कुछ 1 दिन पुरानी। रिपोर्ट में इन चोटों को मौत का सीधा कारण नहीं बताया गया।

4. सवाल क्यों उठ रहे हैं? विसरा पहले से सुरक्षित होने के बावजूद

प्रतीक हेल्दी, फिटनेस प्रेमी और जिम मालिक थे। Pulmonary Embolism अचानक हो सकता है (खासकर अगर पहले हिस्ट्री रही हो), लेकिन चोटों के निशान संदेह पैदा कर रहे हैं।

कुछ लोग पूछ रहे हैं कि चोटें इतनी बड़ी होने के बावजूद मौत का कारण सिर्फ थक्का क्यों? क्या कोई आंतरिक चोट या अन्य फैक्टर था?

CCTV, अस्पताल रिकॉर्ड और घटना के आसपास की गतिविधियों पर सवाल।

विसरा सुरक्षित रखे जाने से आगे की जांच (टॉक्सिकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी) संभव है, जो अंतिम रिपोर्ट में स्पष्टता लाएगी।

प्रतीक यादव की मौत एक युवा जीवन का दुखद अंत है। चोटों और परिस्थितियों के सवाल वैध हैं, लेकिन इन्हें बिना सबूत के साजिश में बदलना भी उचित नहीं। विज्ञान, कानून और पारदर्शिता को अंतिम फैसला करने दें। प्रतीक यादव की आत्मा को शांति मिले। परिवार को इस कठिन समय में सबल मिले।

Source: <https://ndtv.in/india/prateek-yadav-death-case-complaint-lodged-with-human-rights-commission-11494678>

प्रतीक यादव मौत मामला: क्यों हुई मानवाधिकार आयोग में शिकायत? जानिए शिकायत पत्र की बड़ी बातें

Prateek Yadav Death : प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में बुधवार सुबह हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के कारण बीमार पड़ने के बाद निधन हो गया था . उन्हें तबीयत खराब होने पर राजधानी के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. राजधानी लखनऊ के भैंसाकुंड स्थित बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया. गमगीन माहौल में परिवार, रिश्तेदारों और समर्थकों ने उन्हें अंतिम विदाई दी. लेकिन प्रतीक की मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है. मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एनजीओ डीके फाउंडेशन ने प्रतीक यादव की मौत को हत्या करार देते हुए NHRC में शिकायत दर्ज कराई है और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि शुरुआती तौर पर मृत्यु का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स बताया जा रहा है. लेकिन मृतक के शरीर पर पाए गए कथित पूर्व-चोट के निशान और घटना की अचानक प्रकृति कई गंभीर सवाल खड़े करती है.

शिकायत में क्या-क्या कहा गया?

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतीक यादव एक स्वस्थ जीवनशैली के लिए जाने जाते थे, ऐसे में उनकी अचानक मौत और शरीर पर मौजूद संदिग्ध निशानों की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है. एनजीओ ने मांग की है कि मामले की जांच के लिए तत्काल एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए, लखनऊ के सिविल अस्पताल और संबंधित मार्गों के सीसीटीवी फुटेज को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए,. फॉरेंसिक जांच को राज्य के प्रभाव से मुक्त रखते हुए केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) से कराया जाए.

प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में बुधवार सुबह हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के कारण बीमार पड़ने के बाद निधन हो गया था . उन्हें तबीयत खराब होने पर राजधानी के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था?

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर में खून का थक्का बनने के बाद हालत बिगड़ी थी. शरीर के निचले हिस्से से खून का थक्का ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया था, जिससे आर्टरी और फेफड़ों में संक्रमण हुआ. इसके बाद कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक यादव की मौत हो गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, प्रतीक यादव के शरीर पर कुल छह चोटों के निशान पाए गए. रिपोर्ट में बताया गया है कि छाती के दाहिने हिस्से, दाहिने हाथ, दाहिने अग्रभाग (फोरआर्म), दाहिनी कोहनी और बाईं कलाई पर गंभीर कंट्यूजन (अंदरूनी चोट) और नीचे खून जमने के निशान मिले. रिपोर्ट के मुताबिक, पहली चोट छाती के सामने दाहिने निप्पल के नीचे 14×7 सेंटीमीटर की थी, जिसका रंग बीच में लाल-भूरा और किनारों पर हरा-पीला पाया गया. दूसरी चोट दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर 19×12 सेंटीमीटर की थी. तीसरी चोट दाहिने फोरआर्म पर कोहनी से कलाई तक 24×8 सेंटीमीटर की पाई गई.

इसके अलावा चौथी चोट दाहिने फोरआर्म पर 6×4 सेंटीमीटर, पांचवीं चोट दाहिनी कोहनी के पीछे 12×6 सेंटीमीटर और छठी चोट बाएं हाथ की कलाई पर 3×2 सेंटीमीटर की दर्ज की गई. सभी चोटों के नीचे खून जमने के निशान पाए गए.

Source: <https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/hajipur/hajipur-news-special-raid-campaign-eradicate-child-labour-one-child-labourer-freed>

बाल श्रम उन्मूलन हेतु विशेष छापामारी अभियान, एक बाल श्रमिक विमुक्त

Hajipur News (अभिषेक शाश्वत) : श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के दिशा-निर्देश तथा डीएम के मार्गदर्शन में जिले में बाल श्रम उन्मूलन हेतु लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को जिला स्तरीय गठित धावा दल द्वारा हाजीपुर प्रखंड क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाकर 01 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया. तत्काल बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया धावा दल द्वारा हाजीपुर स्थित राजेन्द्र चौक के समीप संचालित 'मेसर्स पाल स्वीट्स' प्रतिष्ठान में निरीक्षण किया गया, जहां नियोजक प्रेम कुमार द्वारा एक बाल श्रमिक से कार्य कराया जा रहा था. जांच के दौरान बाल श्रमिक से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि उसे नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जा रहा था. तत्पश्चात बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम प्रावधानों के तहत उक्त बाल श्रमिक को तत्काल विमुक्त कराया गया. नियोजक पर दर्ज हुई प्राथमिकी श्रम अधीक्षक शशि कुमार सक्सेना ने बताया कि विमुक्त कराये गए बाल श्रमिक को अग्रेतर कार्रवाई हेतु बाल कल्याण समिति, हाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सुपुर्द कर दिया गया है. साथ ही संबंधित नियोजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को दिया गया है.

20 से 50 हजार का जुर्माना और छह माह से दो वर्षों तक कारावास की है सजा इन्होंने बताया कि बाल श्रम करवाने वाले नियोजकों के विरुद्ध कानून के तहत 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा छह माह से दो वर्ष तक कारावास या दोनों का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में पारित आदेश के आलोक में प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रुपये बाल श्रमिक पुनर्वास कोष में जमा कराना भी अनिवार्य है. साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत भी संबंधित नियोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार दिए जाएंगे विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न सहायता योजनाएं संचालित हैं. पात्र बाल श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में तीन हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से उनके नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट कराया जाएगा. साथ ही शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों एवं उनके परिवारों को विभागीय योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सहित पुलिस पदाधिकारियों ने मारा था छापामारी दल में संजीत कुमार चौधरी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हाजीपुर, अंकित राज श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गोरौल, नेहा कुमारी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भगवानपुर, दीपू कुमार मिश्रा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बिदुपुर तथा नगर थाना हाजीपुर के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.

Source: <https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/lucknow-prateek-yadav-death-news-ngo-did-complain-in-nhrc-and-demand-for-sit-investigation-said-its-murder-local18-10474800.html>

Prateek Yadav Death News: प्रतीक यादव की मौत में नया मोड़, अब NHRC की हो गई एंट्री, कर दी यह बड़ी मांग

Prateek Yadav Death News: सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत को लेकर एक एनजीओ ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। एनजीओ ने कहा है कि इसके लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लखनऊ: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई और भाजपा महिला नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत का मामला NHRC पहुंच गया है। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली NGO ने शिकायत की है। प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत को हत्या बताकर शिकायत की गई है। प्रतीक यादव की संदिग्ध मृत्यु मामले में NHRC से स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि हालांकि प्रारंभिक तौर पर मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना (Cardiorespiratory Collapse) बताया जा रहा है। लेकिन मृतक के शरीर पर पाए गए कथित चोट के निशान (Ante-mortem Injuries) और घटना की अचानक प्रकृति कई गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रतीक यादव एक स्वस्थ जीवनशैली के लिए जाने जाते थे, ऐसे में उनकी अचानक मृत्यु और शरीर पर मौजूद संदिग्ध निशानों की निष्पक्ष जांच अनिवार्य है। बता दें कि डीके फाउंडेशन नाम की संस्था ने शिकायत की है।

एनजीओ ने अपनी शिकायत में तीन प्रमुख मांगों की हैं।

1. मामले की जांच के लिए तत्काल SIT (विशेष जांच दल) का गठन हो।
2. लखनऊ के सिविल अस्पताल और संबंधित रूट के सीसीटीवी फुटेज को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

Advertisement

3. फॉरेंसिक जांच को राज्य के प्रभाव से मुक्त रखकर केंद्रीय प्रयोगशाला (CFSL) के माध्यम से कराया जाए।

बुधवार को प्रतीक यादव की हो गई थी मौत

बता दें कि बीते बुधवार की सुबह प्रतीक यादव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। बताया गया कि बुधवार की सुबह चार बजे प्रतीक यादव किचन में अचेत अवस्था में गिरे हुए थे। इसके बाद उन्हें आनन-फानन में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर दिया। क्योंकि जब डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया तो ना तो पल्स रेट मिली और न ही धड़कनें चल रही थीं। इसके बाद प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी ले जाया गया।

प्रतीक यादव के हुए अंतिम दर्शन

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके शव को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं।

Source: <https://www.timesnowhindi.com/india/prateek-yadav-death-case-reaches-nhrc-ngo-demands-independent-sit-probe-article-154318293>

प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत मामले में आया नया मोड़, NGO ने खटखटाया NHRC का दरवाजा; स्वतंत्र जांच की मांग

Prateek Yadav Death Case: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक की संदिग्ध मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की चौखट पर जा पहुंचा है।

Prateek Yadav Death Case: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक की संदिग्ध मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की चौखट पर जा पहुंचा है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था 'डीके फाउंडेशन' ने इस मामले को संदिग्ध बताते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

NHRC पहुंचा प्रतीक की मौत का मामला

डीके फाउंडेशन ने अपनी याचिका में आशंका जताई है कि यह मामला केवल सामान्य मृत्यु का नहीं, बल्कि संभावित हत्या का भी हो सकता है। याचिका में कहा गया कि प्रारंभिक तौर पर प्रतीक यादव की मौत का कारण 'कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स' यानी हृदय गति रुकना बताया जा रहा है, लेकिन मृतक के शरीर पर मिले कथित एंटी-मॉर्टम इंजरी (मृत्यु से पहले लगी चोटों) के निशान कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

SIT जांच की उठी मांग

संस्था का कहना है कि प्रतीक यादव स्वस्थ जीवनशैली के लिए जाने जाते थे, ऐसे में उनकी अचानक मौत और शरीर पर मिले संदिग्ध निशानों की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। डीके फाउंडेशन ने NHRC से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। संस्था ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए ताकि जांच पारदर्शी तरीके से हो सके।

याचिका में यह भी कहा गया है कि घटना के समय और अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया में कई ऐसे तथ्य हैं जो स्पष्ट नहीं हैं। स्थानीय स्तर पर जांच प्रभावित होने की आशंका है।

डीके फाउंडेशन ने अपनी याचिका में मानवाधिकार उल्लंघन का भी जिक्र किया। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को 'जीवन का अधिकार' प्राप्त है। यदि यह एक हत्या है, तो यह मानवाधिकारों का सबसे क्रूर उल्लंघन है। हमें पूर्ण संदेह है कि यह सामान्य मृत्यु का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। वहीं प्रतीक यादव की मौत को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर भी कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

Source: <https://www.patrika.com/amp/lucknow-news/prateek-yadav-death-ngo-demands-sit-probe-nhrc-complaint-murder-angle-20577257>

Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव मौत मामला NHRC पहुंचा, NGO ने SIT जांच और फॉरेंसिक जांच मांगी

Prateek Yadav Death Case: प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत का मामला अब NHRC पहुंच गया है। एक NGO ने हत्या की आशंका जताते हुए SIT जांच, CCTV फुटेज सुरक्षित रखने और केंद्रीय फॉरेंसिक जांच की मांग की है।

Prateek Yadav Death Case Reaches NHRC: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है। प्रतीक यादव की मौत को लेकर लगातार उठ रहे सवाल के बीच अब एक गैर सरकारी संस्था (NGO) ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था डीके फाउंडेशन ने NHRC में शिकायत दाखिल कर इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। संस्था का कहना है कि प्रतीक यादव की मौत सामान्य नहीं लगती और शरीर पर मिले कथित चोट के निशान कई सवाल खड़े करते हैं। NGO ने मांग की है कि मामले की जांच के लिए तत्काल विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जाए और पूरी जांच को राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए।

मौत के बाद बढ़ते गए सवाल

बता दें कि समाजवादी पार्टी संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ स्थित उनके आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया था। सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब चार बजे वह घर के किचन में अचेत अवस्था में पाए गए थे। इसके बाद उन्हें आनन-फानन में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, अस्पताल पहुंचने तक उनकी पल्स और हार्ट बीट बंद हो चुकी थी। इसके बाद उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई।

NGO ने NHRC में क्या कहा

डीके फाउंडेशन नाम की संस्था ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण Cardiorespiratory Collapse बताया जा रहा है, लेकिन कई तथ्य इस मामले को संदिग्ध बनाते हैं। संस्था ने आरोप लगाया कि प्रतीक यादव के शरीर पर कथित Ante-mortem Injuries यानी मृत्यु से पहले के चोट के निशान पाए गए हैं। NGO का कहना है कि प्रतीक यादव फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के लिए जाने जाते थे। ऐसे में उनकी अचानक मौत और शरीर पर संदिग्ध निशान गंभीर सवाल पैदा करते हैं। संस्था ने NHRC से मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

NGO की तीन बड़ी मांगें

NGO ने अपनी शिकायत में तीन अहम मांगें रखी हैं-

1. SIT का गठन हो

संस्था ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तत्काल विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए।

NGO का कहना है कि हार्ड-प्रोफाइल मामला होने के कारण सामान्य जांच पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।

2. CCTV फुटेज सुरक्षित किए जाएं

शिकायत में कहा गया है कि सिविल अस्पताल और संबंधित रूट के सभी CCTV फुटेज को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

संस्था का मानना है कि इससे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी।

3. केंद्रीय फॉरेंसिक जांच कराई जाए

NGO ने मांग की है कि फॉरेंसिक जांच राज्य स्तर पर न होकर केंद्रीय फॉरेंसिक लैब (CFSL) से कराई जाए।

संस्था का कहना है कि इससे जांच निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहेगी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी नजर

सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Pulmonary Embolism यानी फेफड़ों में खून का थक्का बनने की बात सामने आई है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने शरीर के कुछ हिस्सों पर निशान भी नोट किए थे, जिसके बाद मामला और चर्चा में आ गया।

पुलिस ने कब्जे में लिया इलेक्ट्रॉनिक सामान

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रतीक यादव का मोबाइल फोन, लैपटॉप और निजी डायरी समेत कई सामान अपने कब्जे में लिया है। पुलिस अधिकारियों ने उनके आवास का निरीक्षण भी किया था और कुछ कमरों को सील कर दिया गया था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मौत से पहले प्रतीक यादव किन परिस्थितियों में थे।

अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया। यहां बड़ी संख्या में समर्थक, शुभचिंतक और राजनीतिक नेता पहुंचे। लोगों की आंखें नम थीं और परिवार को ढाढस बंधाने वालों का तांता लगा रहा।

सोशल मीडिया पर भी उठ रहे सवाल

प्रतीक यादव की मौत के बाद सोशल Media पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कई लोग मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुराने पोस्ट और निजी जीवन से जुड़ी चर्चाएं भी फिर से वायरल होने लगी हैं। विशेषज्ञ बोले- जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें

मेडिकल और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार Pulmonary Embolism जैसी बीमारी अचानक मौत का कारण बन सकती है, लेकिन यदि शरीर पर चोट के निशान मिले हैं तो हर पहलू की गहन जांच होना आवश्यक है।

पूरे प्रदेश की नजर जांच पर

फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर अब जांच एजेंसियों और आने वाली रिपोर्टों पर टिकी है। NHRC में शिकायत पहुंचने के बाद यह मामला और संवेदनशील हो गया है। अब देखना होगा कि आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या SIT जांच की मांग को मंजूरी मिलती है। प्रतीक यादव की अचानक मौत ने न सिर्फ राजनीतिक गल

Source: <https://www.indiatv.in/uttar-pradesh/pratik-yadav-murdered-case-now-reaches-nhrc-independent-inquiry-demanded-2026-05-14-1218467>

प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत को हत्या बताकर NHRC में शिकायत, स्वतंत्र जांच की उठी मांग

प्रतीक यादव की हत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। अब एनआचआरसी में इस मामले की शिकायत की गई है। इस पूरे मामले की जांच अब SIT से करने की उठी है।

अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली Dk foundation नाम की संस्था (NGO) ने शिकायत की है। प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत को हत्या बताकर NHRC में शिकायत की गई है।

प्रतीक यादव की संदिग्ध मृत्यु मामले में NHRC से स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

शरीर पर पाए गए चोट के निशान

याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक तौर पर मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना (Cardiorespiratory Collapse) बताया जा रहा है, लेकिन मृतक के शरीर पर पाए गए चोट के निशान (Ante-mortem Injuries) और घटना की अचानक प्रकृति कई गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रतीक यादव एक स्वस्थ जीवनशैली के लिए जाने जाते थे, ऐसे में उनकी अचानक मृत्यु और शरीर पर मौजूद संदिग्ध निशानों की निष्पक्ष जांच अनिवार्य है।

इन तीन चीजों की उठी मांग

मामले की जांच के लिए तत्काल SIT (विशेष जांच दल) का गठन हो।

लखनऊ के सिविल अस्पताल और संबंधित रूट के सीसीटीवी फुटेज को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

फॉरेंसिक जांच को राज्य के प्रभाव से मुक्त रखकर केंद्रीय प्रयोगशाला (CFSL) के माध्यम से कराया जाए।

आज हुआ अंतिम संस्कार

प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का गुरुवार को लखनऊ के 'बैकुंठ धाम' में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाम्नि दी।

प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में बुधवार सुबह हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के कारण बीमार पड़ने के बाद निधन हो गया था। उन्हें तबीयत खराब होने पर राजधानी के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

Source: <https://www.abplive.com/news/india/prateek-yadav-death-nhrc-ngo-demanded-sit-investigation-preservation-of-cctv-footage-and-cfsl-ann-3129653>

Prateek Yadav Death Case: प्रतीक यादव की मौत के मामले में NHRC की एंट्री, कौन पहुंचा मानवाधिकार आयोग? रखीं ये 3 डिमांड

Prateek Yadav Death Case: मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत का मामला NHRC पहुंच गया है. NGO ने SIT जांच, CCTV सुरक्षित रखने और CFSL जांच की मांग की है.

प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है. मानवाधिकार के लिए काम करने वाली NGO DK Foundation ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. संस्था ने अपनी शिकायत में कहा है कि शुरुआती जानकारी में मृत्यु का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलेप्स यानी हार्ट और सांस लेने का प्रोसेस एक साथ बंद होना बताया गया है, लेकिन मृतक के शरीर पर मिले कथित चोट के निशान और घटना की परिस्थितियां कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

शिकायत में कहा गया है कि प्रतीक यादव हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे. ऐसे में उनकी अचानक मौत और शरीर पर मौजूद संदिग्ध निशानों की गहराई से जांच जरूरी है. NGO ने NHRC से मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. इसके तहत तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं.

SIT का गठन किए जाने की मांग

पहली मांग में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया जाए. दूसरी मांग में लखनऊ के सिविल अस्पताल और घटना से जुड़े रास्तों के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने और न्यायिक अभिरक्षा में लेने की बात कही गई है, ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके. तीसरी मांग में कहा गया है कि फॉरेंसिक जांच राज्य सरकार के प्रभाव से बाहर रखी जाए और इसकी जांच केंद्रीय फॉरेंसिक लैब यानी CFSL से कराई जाए. फिलहाल NHRC की ओर से इस शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर

Source: <https://www.bhadas4media.com/omar-rashid-investigation-result/>

एनएचआरसी ने बंद की जांच, पत्रकार ओमर रशीद ने बताया खुद को फर्जी सांप्रदायिक अभियान का शिकार

नई दिल्ली। पत्रकार ओमर रशीद ने दावा किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी National Human Rights Commission ने उनके खिलाफ मई 2025 में शुरू हुई जांच को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। ओमर रशीद के अनुसार यह मामला एक "फर्जी, दुर्भावनापूर्ण और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ ऑनलाइन अभियान" से जुड़ा था, जिसे लेकर एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस से जांच कराई थी।

ओमर रशीद ने एक विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि 300 दिनों से अधिक चली जांच के बाद दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने लायक कोई आधार नहीं मिला, जिसके चलते एनएचआरसी ने कार्यवाही समाप्त कर दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि 21 और 22 मई 2025 को सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से मानहानिकारक और सांप्रदायिक पोस्ट फैलाए गए। इन पोस्टों को कथित तौर पर एक युवा हिंदू महिला की "न्याय की गुहार" के रूप में पेश किया गया था, जबकि ओमर रशीद का कहना है कि पूरी कहानी मनगढ़ंत थी और इसका उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव पैदा करना तथा उन्हें सरकारी कार्रवाई में फंसाना था।

ओमर रशीद के मुताबिक सहाद्री अधिकार मंच के संयोजक तन्मय एन नामक व्यक्ति द्वारा उनके और The Wire के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को जांच के निर्देश दिए थे।

उन्होंने दावा किया कि नई दिल्ली के डीसीपी द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर में यह सामने आया कि सोशल मीडिया पोस्ट का स्रोत एक 34 वर्षीय वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता था। ओमर रशीद के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया कि संबंधित व्यक्ति ने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया, कई अवसर दिए जाने के बावजूद बयान दर्ज कराने से इनकार किया और अपना वास्तविक पता बताने से भी बचता रहा।

ओमर रशीद ने कहा कि उन्होंने स्वयं कई बार एनएचआरसी को पत्र लिखकर जांच में सहयोग करने और आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने की पेशकश की थी। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें पुलिस रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अपने बयान में ओमर रशीद ने कहा कि इस ऑनलाइन अभियान के कारण उन्हें और उनके परिवार को व्यक्तिगत, पेशेवर और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां, सांप्रदायिक गालियां और यौन हिंसा की धमकियां मिलीं। यहां तक कि उनकी दिवंगत मां के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी निजी जानकारी लीक कर दी गई, जिसके बाद उन्हें देश और विदेश से धमकी भरे कॉल और संदेश मिलने लगे। कुछ लोगों ने उनके बैंक खाते से अनधिकृत लेनदेन करने की कोशिश भी की।

ओमर रशीद ने कहा कि इस अभियान में "बीफ", "लव जिहाद" और "कश्मीर" जैसे संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल कर उन्हें सांप्रदायिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि उनकी "कश्मीरी मुस्लिम" पहचान को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने कभी अपने पेशेवर जीवन में इस पहचान का इस्तेमाल नहीं किया।

उन्होंने कुछ मीडिया पोर्टलों और पत्रकारों पर भी बिना सत्यापन के मानहानिकारक सामग्री साझा करने का आरोप लगाया। ओमर रशीद ने कहा कि डिजिटल युग में गुमनाम सोशल मीडिया खातों के जरिए बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाकर जनभावनाओं को प्रभावित किया जा सकता है और जवाबदेही से बचा जा सकता है।

बयान के अंत में ओमर रशीद ने कहा कि अब उनका ध्यान इस अभियान के सूत्रधारों और उन्हें मंच उपलब्ध कराने वालों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने पर केंद्रित है।

Source: <https://birsabhumi.com/jharkhand-high-court-mandates-judicial-inquiry-in-rape-and-death-cases-in-police-and-jail-custody/>

झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस व जेल हिरासत में मौत-रेप मामलों में न्यायिक जांच अनिवार्य की

रांची । झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच (Judicial Inquiry) को अनिवार्य कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने आदेश दिया कि अब ऐसे सभी मामलों में ज्यूडिशियल इंक्वायरी अनिवार्य होगी। पहले इन मामलों की जांच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कराई जाती थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) को जेल, पुलिस कस्टडी में मौत या रेप के मामले में नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन नई दिल्ली (एनएचआरसी) की गाइडलाइन के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसे मौत और रेप के मामलों की जांच का कार्यान्वयन सही ढंग से हो।

खंडपीठ ने सरकार की ओर से दिए गए 250 ऐसे मामले जिनमें ज्यूडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई है। उसमें जिला जज कारण बताते हुए उच्च न्यायालय को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को पुलिस, जेल कस्टडी में ऐसे मौत या रेप के मामले के संबंध में कई अन्य दिशा निर्देश भी दिए हैं। पूर्व में कोर्ट ने प्रार्थी एवं राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शादाब अंसारी ने पक्ष रखा था। उनकी ओर से कोर्ट के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत किया गया था। साथ ही उच्चतम न्यायालय के जजमेंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), नई दिल्ली की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अलावा बीएनएसएस का 196 सब सेक्शन (2) को भी कोर्ट को समर्पित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि मामले में पूर्व में गृह सचिव ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पुलिस कस्टडी एवं जेल कस्टडी में वर्ष 2018 से 2025 के बीच करीब 500 मौत हुई है, इनमें से करीब आधे में ज्यूडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई है। इससे पहले कोर्ट ने गृह सचिव से स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा था कि राज्य में हुई सभी हिरासत में मौत की घटनाओं में न्यायिक जांच कराई गई है या नहीं।

कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि शपथ पत्र में यह जानकारी दी जाए कि न्यायिक जांच के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया या नहीं।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मोहम्मद मुमताज अंसारी ने राज्य में जेल या न्यायिक हिरासत में हुई मौत मामले की जांच करने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया है।

DATE	CHANNEL	TIME	DETAILS	DURATION	PROGRAM	AUTHOR	PERSONALITY
14.05.2026	News18	19:00	<p>प्रतीक यादव की मौत पर NHRC ने दर्ज कराई शिकायत!</p> <p>-सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत को लेकर एक एनजीओ ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है. एनजीओ ने कहा है कि इसके लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.</p>	04:36 Min	Breaking News	Abc	
14.05.2026	First India	19:00	<p>NHRC पहुंचा प्रतीक का केस, अंतिम संस्कार के बाद पलटा..!</p> <p>प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है. मानवाधिकार के लिए काम करने वाली NGO DK Foundation ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. संस्था ने अपनी शिकायत में कहा है कि शुरुआती जानकारी में मृत्यु का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स यानी हार्ट और सांस लेने का प्रोसेस एक साथ बंद होना बताया गया है, लेकिन मृतक के शरीर पर मिले कथित चोट के निशान और घटना की परिस्थितियां कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं. शिकायत में कहा गया है कि प्रतीक यादव हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे. ऐसे में उनकी अचानक मौत और शरीर पर मौजूद संदिग्ध निशानों की गहराई से जांच जरूरी है. NGO ने NHRC से मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. इसके तहत तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं....</p>	05:10 Min	Breaking News	Abc	

14.05.2026	IndiaTV	17:00	NHRC पहुंचा प्रतीक यादव की मौत का मामला समाजवादी पार्टी से जुड़े प्रतीक यादव की मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग तेज हो गई है। परिवार और समर्थकों की ओर से मौत की परिस्थितियों पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। NHRC की एंटी के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। क्या होगी आगे की कार्रवाई और किन पहलुओं की होगी जांच?	00:15 Min	Breaking News	Abc	
14.05.2026	Aaj Tak	15:00	प्रतीक यादव की मौत के बाद DK Foundation of Freedom and Justice ने उनकी मौत के मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से शिकायत कर स्वतंत्र जांच की मांग की है। एनजीओ के नोडल अधिकारी Mahendra Pratap Singh ने आज तक से बातचीत में कहा कि प्रतीक यादव एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनकी अचानक हुई मौत कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई छह चोटों की भी विस्तृत जांच होनी चाहिए।	04:18 Min	Breaking News	Abc	
14.05.2026	Zee Uttar Pradesh UttaraKhand	16:00	Prateek Yadav Death : प्रतीक यादव मौत मामला NHRC पहुंचा...SIT और फॉरेंसिक जांच की मांग तेज	01:23 Min	Pura Desh Har Khabar	Abc	
14.05.2026	Zee News	17:00	प्रतीक यादव की मौत पर नया बवाल, NGO की SIT और फॉरेंसिक जांच की मांग	02:55 Min	Baat Pate Ki	Pratima Mishra	

14.05.2026	DD News UP	17:00	Prateek Yadav की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, मौत मामले में NHRC पहुंची शिकायत प्रतीक यादव को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों समर्थकों और कई बड़े नेताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बैकुंठधाम में पूरे राजकीय सम्मान और भावुक माहौल के बीच अंतिम संस्कार किया गया। Dimple Yadav समेत समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच प्रतीक यादव की मौत का मामला अब नया कानूनी और राजनीतिक मोड़ लेता नजर आ रहा है। एक NGO ने NHRC में शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष SIT जांच की मांग की है। NGO का दावा है कि शरीर पर कथित चोट के निशान थे और मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। साथ ही Lucknow Civil Hospital और घटना स्थल के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने तथा पूरे मामले की जांच CFSL से कराने की अपील की गई है। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में Cardiorespiratory Collapse को मौत की वजह बताया गया है, लेकिन कई सवाल अब भी कायम हैं। प्रशासन ने फिलहाल किसी साजिश या हत्या की पुष्टि नहीं की है।	02:46 Min	Samachar	Abc	
14.05.2026	Kalinga TV	15:00	Balianta Mob Lynching: Major twist in Soumya Ranjan mu*der case	03:10 Min	Breaking News	Abc	
14.05.2026	Kalinga TV	18:00	Crime Branch Arrests Main Accused Ranjit Patra in Balianta M**der and Mob Lynching Case	03:11 Min	Breaking News	Abc	

